Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post/Camp Bag

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

सं.481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई-द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 14 जून, 2017

सेवा में

1. राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और
   महासचिव, लोक सभा,
   संसद भवन, नई दिल्ली-110001

2. राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी
   (मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से)।

विषय: राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।

महोदय,

मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के खण्ड(3) कें प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विहित है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। अत: निर्वाचन में मतदान करने वाले निर्वाचक मण्डल के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस रीति के संदर्भ में गोपनीयता बनाए रखें जिसके अंतर्गत वे निर्वाचन में मतदान करते हैं। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 18 के उप नियम(2) में निम्नलिखित मतदान प्रक्रियॉए निर्धारित की गई हैं जिनका एक निर्वाचक को पालन करना चाहिए:-

"(2) मतपत्र प्राप्त करने पर एक निर्वाचक तत्काल:-

(क) मतदान कम्पार्टमेंट्स में से एक की ओर बढेंगे;

(ख) नियम 17 के उप-नियम(2) के अनुसार अपने मत को रिकार्ड करेंगे;

(ग) अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोडेंगे;

(घ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेंगे; और

(ङ) मतदान के स्थान से बाहर चले जाएंगे"

2. मतपत्र पर मतों को चिन्हित करने के लिए केवल उसी पेन का प्रयोग किया जाना चाहिए जो रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराया जाता है और कोई अन्य पेन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपने मत को रिकार्ड करने के पश्चात मतदाता को अपना मत छुपाने के उद्देश्य से मतदान कक्ष के अंदर ही अपना मतपत्र मोड दें और किसी भी परिस्थिति में मतदाता को मतदान स्थान के भीतर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को चिह्नित मतपत्र दिखाने की अनुमति नहीं है।

4. इसके अतिरिक्त, मतपत्र की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि मतदाताओं को मतदान की शुरूआत में यादृच्छिक रूप से मतपत्र जारी किए जाएं और न कि उनकी क्रम संख्या के अनुक्रम में क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करके। तथापि, मतदान के अन्त में जारी किए गए मतपत्र निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्र की क्रम सं.1 से अंतिम संख्या तक सतत क्रमिक क्रम संख्या मे होने चाहिएं।

5. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner